

प्रेषक,
हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

कमिश्नरी
119
दिनांक 21/5/12

लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2012

विषय:- सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना वर्ष 2012-13 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना, सामान्य आयोजनेत्तर हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 72.00 लाख (रुपये बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि में से प्रथम चार माह के लिए लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रु0 24.00 लाख (रुपये चौबीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर संलग्न फांट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते हुए समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-3520/दस-2011-231/2012, दिनांक 16.12.2012 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बीएम-08 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जाये।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
4. निदेशक, द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन के वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध हो जाये।
5. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-05 के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-105-खादी ग्रामोद्योग-26-कौशल सुधार प्रशिक्षण-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे खाला जायेगा।

प्राचार्य (उ०प्र०)
11/5/12

21-5-12

प्राचार्य

21.5.2012

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-547/दस-2012-231/2012 दिनांक 20.03.2012 की गई व्यवस्थानुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,
(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या: 249 (1)/59-2-2012/तददिनांकित।


प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० इलाहाबाद।
8. एन०आई०सी०।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर०डी० कल्याण)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या - 249/59-2-2012, दिनांक 18 मई का संलग्नक
 वर्ष 2012-13 में चार माह के लिए कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (सामान्य मद अनुदान सं0-05)
 हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की वित्तीय स्वीकृति

क्रमांक	केन्द्र का नाम	धनराशि (लाख रुपये में)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, गखनऊ	3.00	75
2	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी गोरखपुर	2.00	50
3	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	2.00	50
4	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अनुआं, इलाहाबाद	2.00	50
5	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, आड़पट्टी, आजमगढ़	2.00	50
6	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा मऊ	2.00	50
7	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, कल्पी, जालौन	3.00	75
8	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरी, शाहजहाँपुर	2.00	50
9	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा	3.00	75
10	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, नर्जाबाबाद, बिजनौर	3.00	75
	योग (रुपये तेरह लाख मात्र)	24.00	600


 (आर0डी0 कल्याण)
 अनु सचिव